

जान मूल वक्तव्य स भले ही मुकर गए हैं, मगर एक ही दिन, एक ही दस्ताखत से पंजाब नेशनल बैंक में तीन करोड़ की रकम कैसे जमा की गई और यह रकम किसने दी, इसका जवाब श्री महतो या झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने अब तक नहीं दिया है। इससे साफ हो जाता है कि श्री नरसिंह राव की सरकार ने कैसे कौन एवज में वोट खरीदे, यह राय लोकसभा में विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने कल यहां फिर दोहराई।

तीन दिन के महाराष्ट्र के दौर के बाद श्री वाजपेयी यहां पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। भाजपा की प्रारंभिक सदस्यता से त्यागपत्र देते हुए दिल्ली में श्री महतो ने आरोप लगाया था कि श्री वाजपेयी ने

कि कोई भी उनका उपयोग करे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों की कांग्रेस द्वारा खरीदी का समाचार छपते ही श्री महतो मेरे पास आए तो मैंने उन्हें कहा कि वे श्री राम जेटमलानी की सलाह लेकर कार्रवाई करें। तत्पश्चात श्री महतो ने अपनी भाषा में, अपने हस्ताक्षरों में प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हुए वक्तव्य दिया। उन पर भाजपा ने कोई दबाव नहीं डाला। श्री वाजपेयी ने आरोप लगाया कि इस वक्तव्य के बाद कांग्रेस ने दबाव डालना शुरू किया।

हवाला मामले में विपक्ष चार साल तक चुपपी सांध रहा, इस आरोप का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि शुरू में इसे राजनीतिक चंदे का मामला मान कर उस पर किसी ने गंभीरता से विचार नहीं किया। उसके बाद

दौरान खामोश रहे। मेरी जानकारी के अनुसार श्री नारायण श्री जैन से कैसे वसूलना चाहते थे, जो न मिलने के कारण उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की शरण ली। श्री वाजपेयी ने कहा कि अब इस बारे में और कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री वाजपेयी ने स्वीकार किया कि वे ही श्री महतो को भाजपा में लाए, मगर उस समय पता नहीं था कि उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के समय कैसे लिए थे। उनके मुताबिक उन्हें भाजपा से निकाला जाने वाला था, अच्छा हुआ उन्होंने स्वयं ही त्यागपत्र दे दिया।

हवाला कांड का भाजपा पर कोई असर नहीं होगा। लोकसभा में हमें ही बहुमत मिलेगा, यह आशा व्यक्त करते हुए श्री वाजपेयी ने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को 34 सीटें खोनी पड़ेंगी। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस

जानबूझ कर विलंब करने का काम करने का प्रमाण पत्र व्यक्त की कि यदि केंद्र में पु सत्तारूढ़ हुई तो अन्य राज्य बर्खास्त कर दी जाएगी।

श्री वाजपेयी के महार बूलढाणा, अकोला, यवतमा गाँविया, काटोल में अच्छा ज काटोल जैसे गाँवों में भरी दु हजार के करीब श्रोता उपस्थित उन्हें करीब 2 करोड़ रु. की थीं

लालू के इस्तीफे की मांग विधानसभा में हंगामा,

नभाटा समाचार

पटना, 20 मार्च।

पशुपालन घोटाला को लेकर मुख्यमंत्री लालू प्रसाद से इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष ने आज बिहार विधानसभा में जबर्दस्त हंगामा किया। इसी उतेजना और नरेबाजी के बीच राज्य का 1996-97 का बजट पेश किया गया तथा कुछ अन्य काम निपटाए गए। सदन की बैठक दो चरणों में कोई आधा घंटे तक चली।

विधान सभा में मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री लालू प्रसाद के मौजूद होने के बावजूद संसदीय कार्यमंत्री रेघुनाथ झा ने अगले वर्ष का बजट और चार महीने का लेखानुदान पेश किया। अगले वित्त वर्ष के लिए पेश बजट में आय-और व्यय में कमी के साथ-साथ वार्षिक योजना के आकार को भी छोटा कर दिया गया। मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के अनुसार यह 'कमी यथार्थवादी बजट बनाए जाने के कारण आई' है।

इसके बावजूद 120.20 करोड़ घाटे का बजट है। वर्ष की शुरुआत 72.18 करोड़ रुपए के घाटे के साथ हो रही है। राज्य की अगले वित्त वर्ष की वार्षिक योजना का आकार 1400 करोड़ रुपए का है जबकि गत साल की वार्षिक योजना का आकार 25 अरब रुपए का था।

बिहार के वित्त वर्ष 1996-97 के बजट की और विशेषता है। इसमें राज्य सरकार ने किसी भी प्रकार का कर या अधिभार नहीं लगाया है। लेकिन राज्य की किसी नयी योजना या विकास कार्यक्रम के बारे में भी इसमें कोई घोषणा नहीं की गई है। राज्य सरकार ने उम्मीद की है कि कोयला की रॉयल्टी की दर में संशोधन शीघ्र होगा और इससे बिहार को अच्छी राशि हासिल होगी। राज्य सरकार ने स्वीकार किया है कि खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका। राज्य सरकार ने श्रष्टाचार पर नियंत्रण के संकल्प को दोहराते हुए पशुपालन घोटाले की चर्चा बजट अधिलेख में की है। इसमें कहा गया है कि इस विभाग के लिए 1995-96 के बजट में मात्र 82.12 करोड़

रुपए का प्रावधान किया गया था। लेकिन कुछ अधिकारियों और आपूर्तिकर्ताओं की मिलीभगत से फर्जी बिलों के जरिए 162.29 करोड़ रुपए की रकम को निकासी कर ली गई है। राज्य सरकार ने 40 आपराधिक मामले दायर किए हैं जिनमें अब तक 46 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में लिप्त पाए गए 31 अधिकारियों की सेवा समाप्त कर दी गई और 102 लोगों को मुअत्तल किया गया है।

इससे पूर्व, विधानसभा की कार्यवाही आरंभ होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, माकपा (माले) और समता पार्टी के सभी सदस्य पशुपालन घोटाला पर मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करने लगे। नरेबाजी और उतेजना का दौर आरंभ हुआ। मंत्रियों को छोड़कर जनता दल के अधिकांश सदस्य भी उठकर विपक्ष के इस हमले का उत्तर देने लगे। मुख्यमंत्री लालू प्रसाद उस समय सदन में मौजूद थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के ही सदस्य अपनी-अपनी सीटों पर बैठे रहे।

सदन में सबसे उतेजना व कांग्रेस के सदस्य 'वेल' में 'रिपोर्ट्स टेबुल' पर लेट गए। दल के दर्जनों सदस्य दौड़ कर गुन्थमगुन्थी की स्थिति पैदा हो ग लालू प्रसाद संसदीय कार्यमंत्री के राजी सिंह तथा रामाश्रय प्रसाद के बाद स्थिति सामान्य हो सकी। 'यादव के बार-बार के आग्रह के ब नहीं हुए तो उन्होंने बजट पेश कर कहा। लेकिन यह काम संसदीय जब बजट पेश हो रहा था तो भा सदस्य सदन के 'वेल' में थे। बज बाद सदन की बैठक दो बजे के लि गई।

मध्याह्न के बाद जब सदन की हुई तो वही नजारा था।

प्रीति की पहल से नेत्रहीन भी अब चालू खाता खुलवा सकेंगे

नई दिल्ली, 20 मार्च (भाषा)। क्या कोई ऐसा व्यक्ति किसी बैंक में चालू खाता नहीं खुलवा सकता है जो सफल उद्यमी होने के बावजूद नेत्रहीन हो?

हां यह सच है। लेकिन एक नौजवान महिला उद्यमी के संघर्षपूर्ण सतत प्रयासों और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पहल की बदौलत अब ऐसा नहीं हो सकता है।

दृष्टिहीन महिला उद्यमी प्रीति सिंह ने आयोग के पास शिकायत की कि दृष्टिहीनता के कारण जाँकर नगर स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा ने उन्हें खाले खाता खोलने से मना कर दिया। उन्होंने अपनी शिकायत में लिखा कि दिल्ली वित्त निगम से मंजूरी के लिए उन्हें अपने नाम पर बैंक में चालू खाता खोलना जरूरी था ताकि ऋण का वितरण संभव हो सके।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र ने इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष से इस बारे में स्पष्टीकरण चाहा कि क्या किसी नेत्रहीन व्यक्ति को चालू खाता खोलने का अधिकार नहीं है ताकि आयोग इस पर विचार कर सके।

भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जवाब दिया कि बैंक की उक्त शाखा सुश्री प्रीति सिंह को इस कारण से चालू खाता नहीं खोलने दे सकती है क्योंकि नेत्रहीनो के लिए सिर्फ बचत खाता खोलने का ही प्रस्ताव है।

आयोग को भेजे गए उत्तर में बैंक के अध्यक्ष पी.जी. राकोदकर ने लिखा कि सुश्री प्रीति सिंह के अनुरोध के बाद नेत्रहीनों और बैंक दोनों के आपसी हितों को ध्यान को रखकर इस सवाल पर गौर किया गया है। अब सभी शाखाओं को उचित दिशा निर्देश भेजे जा चुके हैं। बैंक अधिकारियों ने उक्त स्थानीय शाखा को यह भी निर्देश दिया कि वह सुश्री सिंह से संपर्क करे ताकि वे अपेक्षित औपचारिकताएँ पूरी कर सके। सुश्री सिंह पहले एक संगठन में विपणन प्रबंधक थीं और अब उन्होंने खुद अपनी विपणन कंपनी खोल ली है।

सुंदरराजन के खिलाफ फिर समन जारी

नई दिल्ली, 20 मार्च (नस)। हवाला कांड की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) के पूर्व महाप्रबंधक वी. सुंदरराजन के नाम आज पुनः समन जारी कर दिए और निगम के पूर्व निदेशक मोहम्मद अब्दुल हई को जमानत प्रदान कर दी।

सीबीआई ने निगम के सात अधिकारियों के विरुद्ध 28 नवंबर को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। वी. सुंदरराजन के समन तामील नहीं हुए। अदालत को उसका एक पत्र मिला कि वह इस समय अमेरिका में है। अदालत ने उसके पुनः समन जारी किए तथा उसे 8 अप्रैल को हाजिर होने का आदेश दिया।

विशेष न्यायाधीश विद्याभूषण गुप्ता ने निगम के पूर्व निदेशक (तकनीक) मोहम्मद अब्दुल हई को 10 हजार की जमानत तथा इतनी ही राशि के निजी मुचलके पर छोड़ दिया। सीबीआई ने अभियुक्त की जमानत अर्जी का विरोध नहीं किया। न्यायाधीश ने अब्दुल हई को निर्देश दिया कि वह अदालत की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जाएगा तथा अपना पासपोर्ट सीबीआई को सौंप देगा।

मोहम्मद अब्दुल हई ने अदालत से हज यात्रा में

जाने की अनुमति मांगी है। अदालत अर्जी में अभियुक्त ने कहा है कि उसका के चुने गए व्यक्तियों की सूची में है। लिए 33 हजार रुपए भी जमा कर दिए हैं हज यात्रा के लिए 15-20 अप्रैल के होगा। न्यायाधीश श्री गुप्ता ने अब्दुल हई सुनवाई 2 अप्रैल के लिए निर्धारित की संबंध में सीबीआई को नोटिस जारी किया। सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री खुराना के आरोप पत्र से संबंधित दस्त वकील को सौंप दिए। अदालत ने इस सुनवाई 8 अप्रैल तक की है। श्री खुराना व में हाजिर न होने की भी इजाजत दे दी गई।

पूर्व केंद्रीय मंत्री माधव राव सिंधिया के अगली तारीख 5 अप्रैल निश्चित की गई है के वकील ने दस्तावेजों के निरीक्षण के मांगा था।

वाशिंगटन, 29 मार्च (भाषा)। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने वित्त वर्ष 1997 14,950 खरब डालर का बजट कांग्रेस में है।